संख्याः 3544 / 12–2–2012–61 / 2012

प्रेषक,

निखिल चन्द्र शुक्ला,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कृषि अनुभाग–2 लखनऊः दिनांकः 05 नवम्बर, 2012

विषयः कृषि यंत्रों एवं कृषि रक्षा उपकरणों की कय प्रकिया का निर्धारण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्याः 1622 / 12–2–2012–61 / 2012 दिनांक 08 जून, 2012 तथा शासनादेश संख्याः 2728 / 12–2–2012–61 / 2012 दिनांक 28 अगस्त, 2012 व आपके पत्र संख्याः प्रसार–4 / एनएफएसएम / 15 / 2012–13 दिनांक 08 अक्टूबर, 2012 तथा पत्र संख्याः चावल.31 / एन.एफ.एस.एम. / 15 / 2012–13 दिनांक 26 अक्टूबर, 2012 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. प्रकरण में शासन के आदेश दिनांक 28 अगस्त, 2012 द्वारा यह निर्देश निर्गत किए गए हैं कि वर्तमान प्रकिया के अनुसार समस्त कृषि यंत्रों का कय यू.पी.स्टेट एग्रो इण्ड. कारपोरेशन लि0 द्वारा किया जायेगा और समस्त कृषि रक्षा यंत्रों का कय पूर्ववत् कृषि निदेशालय द्वारा किया जायेगा। इस सम्बन्ध में आपके पत्र दिनांक 08 अक्टूबर, 2012 के द्वारा यह अवगत कराया गया है कि भारत सरकार द्वारा पुरोनिधानित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की आपरेशनल गाइडलाइन्स में स्रोत पर अनुदान दिये जाने का प्राविधान है। कृषि यंत्रों के बारे में गाइड लाइन के बिन्दु–14.4. vi में निम्न व्यवस्था दी गयी है:–

'The farm implements, particularly rotavators, seed drills and multi crop planter should conform to ISI standards or certified by Farm Machinery Training & Testing Institutes of Government of India, Central Institute of Agricultural Engineering (CIAE), Bhopal or SAUs.'

3. इस सम्बन्ध में सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त के परिप्रेक्ष्य में कृषक स्वेच्छा से किसी भी कम्पनी का, जो आई.एस.आई. मार्क, सी.आई.ए.ई. (सेन्ट्ल इन्स्टीट्यूट आफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग) या एस.ए.यू. (स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज) द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप कृषि यंत्र उपयोगिता एवं मूल्य की दृष्टि से स्वयं अपनी आवश्यकता के अनुरूप खुले बाजार से अथवा यू.पी.स्टेट एग्रो से कय सकते हैं। भारत सरकार द्वारा पुरोनिधानित समस्त योजनाओं में यही व्यवस्था प्रभावी करते हुए निम्नवत प्रकिया अपनायी जाये:–

1. लाभार्थी द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र कृषि यंत्र हेतु संबंधित खण्ड विकास / उप सम्भागीय कृषि प्रसार अधिकारी के माध्यम से उप कृषि निदेशक के कार्यालय को प्रेषित किया जाये।
2. कृषि यंत्रों की कय प्रकिया में कृषकों को प्रथम आवत–प्रथम पावत के सिद्धान्त के आधार पर प्रार्थना पत्र का पंजीयन एक रजिस्टर में किया जाये।

3. लाभार्थी कृषकों के प्राप्त आवेदन पत्रों को कार्यालय में सूचीबद्ध किया जायेगा, जिसकी पावती लाभार्थी को भी दी जाये।
4. उप कृषि निदेशक द्वारा पात्र लाभार्थी को अनुमति पत्र निर्गत किया जाये।
5. लाभार्थी कृषक अपनी सुविधानुसार स्वेच्छा से मानकों के अनुरूप कृषि यंत्र खुले बाजार अथवा यू.पी.एग्रो से क्रय कर सकेगा।
6. क्रय की रसीद उप कृषि निदेशक कार्यालय में लाभार्थी से जमा कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।
7. क्रय किए गए यंत्र का विभागीय सत्यापन कराने के उपरान्त ही भुगतान किया जाये।
8. पात्र लाभार्थी को NEFT/RTGS के माध्यम से निर्धारित अनुदानित धनराशि का इलेक्ट्रानिकली भुगतान सीधे बैंक एकाउन्ट में हस्तान्तरित कराया जाये।
9. पम्पसेट क्रय तथा ट्रैक्टर व उसके द्वारा चालित यंत्रों हेतु भी उपरोक्त प्रकिया का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाये।

तद्नुसार शासनादेश संख्याः 2128/12–2012–61/2012 दिनांक 28 अगस्त, 2012 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाये। शासनादेश दिनांक 08 जून, 2012 तथा 28 अगस्त, 2012 में उल्लिखित शर्ते एवं प्राविधान यथावत रहेंगे।

भवदीय,

(निखिल चन्द्र शुक्ला)
विशेष सचिव।

संख्याः 3544(1)/12–2–2012 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि प्रबंध निदेशक, यू.पी.स्टेट एग्रो इण्ड्. कारपोरेशन लि0, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

8.11.12

(निखिल चन्द्र शुक्ला)
विशेष सचिव।